

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. लीला राम यादव पुत्र मन्नाराम यादव निवासी करजो तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 305/2025  
जीसीएमएस नं0 2025/484


आदेश

दिनांक -27/6/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम करजो पटवार हल्का बेगा की नांगल तहसील पाटन के खाता संख्या 40, 41 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "लीला पुत्र भूरा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "लीलाराम पुत्र मन्नाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)